राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

करण सख्या : 261/2002

मुरारीलाल पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा निवासी रामपुराभगतान तह0 मांगरोल जिला बारां
.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. रामगोपाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी रामपुराभगतान

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांक: 01.09.2006

निर्णय दिनांक : 11.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम रामपुराभगतान स्थित आराजी खसरा नं0 42 रबा 1.59 है0 एवं अप्रार्थी की आराजी खसरा नं0 249 रकाब 41 बीघा 7 बिस्वा हाल खसरा नं0 25, 66 रकबा 6.8 है0 है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी की आराजी खसरा नं0 249 रकबा 41 बीघा 7 बिस्वा हाल रकबा 6.88 है0 है। अप्रार्थी की आराजी 41 बीघा 7 बिस्वा में से अप्रार्थी की आराजी 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी नहर में जा चुकी है। इस प्रकार अप्रार्थी के पास 40 बीघा आराजी शेष रहती है। जबकि अप्रार्थी के खाते में वर्तमान में6.88 है0 आराजी दर्ज है। सेटलमेंट द्वारा दर्ज की गई वह गलत है जबकि अप्रार्थी के खाते में 6.40 है0 दर्ज होना चाहिये इस प्रकार से अप्रार्थी की आराजी 0.48 है0 ज्यादा है। अप्रार्थी ने अपनी नहर में गयी आराजी का मुआवजा प्राप्त कर लिया है। मात्र सेटलमेंट की त्रूटी की वजह से रकबा बढाकर दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी का रकबा 6.40 है0 ही बनता है। अप्रार्थी प्रार्थी की आराजी की मेड तोडकर अपने खेत में मिला रहा है। जिसका की उसको कोई अधिकार नही है। मना करने पर कहता है कि मेरा 43 बीघा यानि 6.88 है0 का रकबा है। और तूमने मेरी आराजी दबाकर मेड को कायम किया है। मुझे मेरा पूरा रकबा चाहिये जो मेरे खाते मे है। अप्रार्थी की आराजी में से नहर में गया रकबा कम नही किया गया और दृत्रूटी की वजह से उसका रकबा बढा दिया गया इस प्रकार अप्रार्थी को खसरा नं0 226 रकबा 17 बिस्वा को नये खसरा नं0 144 रकबा 0.24 है0 कर दी है। इस प्रकार से 226 का रकबा भी बढा दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी का रकबा कम कर दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ./2017/केम्प मालबमोरी/9 दिनांक 11.07.2017 के द्वारा अंकन किया कि ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी खसरा नम्बर 150 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 226 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं0 249 रकबा 41 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 306 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 309 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 319 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 63 बीघा 18 बिस्वा भूमि रामगोपाल पुत्र किशनलाल मीणा निवासी रामपुरा भगतान के खाते दर्ज थी। बाद सेटलमेंट खसरा नं0 66 रकबा 4.96 है0 में से 0.14 है0 व खसरा नं0 355 रकबा 0.14 है0 में से 0.4 है0 बेशी रकबे को पूर्व में 136 के तहत कम किया जा चुका है। तथा खसरा नं0 66 रकबा 4.96 है0 में से 0.10 है0 भूमि बिरधी लाल, कन्हैयालाल पुत्र छगना को रकबा पूर्ति हेतु प्रस्तावित है। खसरा नं0 144 रकबा 0.24 है0 मे से 0.10 है0 तथा खसरा नं0 66 रकबा 4.96 है0 में से 0.02 है0 व खसरा नं0 452 रकबा 2.29 है0, खसरा नं0 466 रकबा 1.19 है0, खसरा नं0 467 रकबा 0.59 है0 में 0.15 है0 बेशी शेष बचता है। खसरा नं0 375 रकबा 0.46 है0 में गत के मुकाबले 0.04 है0 की कमी होने से कुल बेशी 0.23 है0 रहता है। वादी के गत रकबे के मुकाबले में रकबा बेशी है। वाद खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने बाद सेटलमेंट अप्रार्थी का रकबा कम कर दुरूस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के गत रकबे के मुकाबले में रकबा बेशी है, जांच करने पर समीपस्थ किसी भी खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। तथा ना ही मिलान क्षेत्रफल संलग्न किया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प माल बमोरी मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल